



	कार्यालय नगर निगम ग्रेटर जयपुर (पण्डित दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, जयपुर 302015)
क्रमांक	एफ-5()कार्मिक/साप्र./ननिग्रेज/2025/115 दिनांक:-24.4.25

कार्यालय आदेश

कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक 188 दिनांक 23.01.2025 के द्वारा श्री सुखवीर सिंह यादव, पुलिस निरीक्षक, सतर्कता शाखा की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर दिनांक 30.04.2025 को सेवानिवृत्त किये जाने हेतु आदेशित किया गया है।

अतः उक्त आदेश की पालना में श्री सुखवीर सिंह यादव, पुलिस निरीक्षक को आज दिनांक 24.4.25 मध्याह्न पूर्व/पश्चात् नगर निगम ग्रेटर जयपुर से मूल विभाग राजस्थान पुलिस आयुक्तालय, जयपुर के लिये कार्यमुक्त किया जाता है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(रेखा मीणा)
उपायुक्त (कार्मिक)
नगर निगम ग्रेटर जयपुर

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. निजी सहायक, महापौर महो०/उपमहापौर महो०, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
2. निजी सहायक, आयुक्त महोदय, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
3. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त महोदय, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
4. अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, पुलिस लाईन, आयुक्तालय, जयपुर
5. उपायुक्त सतर्कता, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
6. सहायक लेखाधिकारी-प्रथम (कार्मिक), नगर निगम ग्रेटर जयपुर
7. एसीपी, सूचना प्रौद्योगिकी मुख्यालय नगर निगम ग्रेटर जयपुर
8. संस्थापन लिपिक
9. संबंधित श्री.....
10. नोटिस बोर्ड चस्पा
11. गार्ड फाईल

उपायुक्त (कार्मिक)
नगर निगम ग्रेटर जयपुर

Signature valid



Digitally signed by Rekha Meena
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2025.04.24 17:29:14 IST
Reason: Approved